

# मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

पर्यावरण परिसर, ई-5 सेक्टर, अरेरा कालोनी, भोपाल

क्रमांक 2127 /स्था/मुप्रनिबो/2017

भोपाल, दिनांक 22 AUG 2017


## कार्यालय आदेश

राज्य बोर्ड की 140 वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार बोर्ड के आदेश क्रमांक 391 दिनांक 26/3/2016 द्वारा मान्नीय उच्च न्यायालय के समक्ष बोर्ड का पक्ष प्रस्तुत किये जाने पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं हेतु फीस का निर्धारण किया गया था। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के अतिरिक्त अन्य अधिवक्ताओं की फीस हेतु राज्य बोर्ड की 144 वीं बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आदेश दिनांक 26/3/2016 के अनुक्रम में प्रति प्रकरण रुपये 25000/- पारिश्रमिक भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त शुल्क में अन्य एवं विविध व्यय भी सम्मिलित हैं, जिसका भुगतान दो किशतों में निम्नानुसार किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई :

(प्रथम किशत) प्रकरण में बोर्ड की ओर से प्रकरण दायर करने/ बोर्ड का उत्तर प्रस्तुत करने पर

(द्वितीय किशत) प्रकरण में मान्नीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित होने पर किया जायेगा।

  
( ए० ए० मिश्रा )  
सदस्य सचिव

पृ० क्रमांक 2128 /स्था/मुप्रनिबो/2017  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 22 AUG 2017

- 1 ✓ समस्त शाखा प्रभारी/समस्त क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- 2 आईटी शाखा/गार्ड फाईल/आदेश नस्ति।